Order Sheet [Contd] _Case No 281/2017 बी.ए

Order or proceeding with Signature of presiding Proceeding 3 आवेदक / आरोपी जगदीश पण्डा की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड से अप०क० 88 / 17 अंतर्गत धारा 343, 376, 376(2)(के), 114, 120बी, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित पेश। प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त जगदीश पण्डा की ओर से अधिवक्ता श्री प्रबीण गुप्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक / अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा फरियादिया की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में है वह संग्रात नागरिक है एवं जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः उसे उचित जमातन मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया	
अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड से अप०क० 88/17 अंतर्गत धारा 343, 376, 376(2)(के), 114, 120बी, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित पेश। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जगदीश पण्डा की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनत्र अंतर्गत धारा 439 जाठफौठ पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा फिरयादिया की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में है वह संभ्रात नागरिक है एवं जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तैयार है। अतः उसे उचित जमातन मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया	or where
आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त 47 वर्षीय अपाहिज है जो चलने फिरने में असमर्थ है और फरियादिया ने केवल ब्लेकमेल करने के लिए आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध यह झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरियादिया द्वारा थाना गोहद चौराहा पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका अपने पति से विवाद हो गया था और जब वह दिल्ली से ग्वालियर आ रही थी तो आवेदक / अभियुक्त और सह आरोपिया सुमित्रा उसे मिले और उसे अपने घर ले गए जहाँ आवेदक / अभियुक्त ने जबरदस्ती उसके साथ बुरा काम किया था। आवेदक / अभियुक्त की ओर से आवेदक का स्थाई अपंगता प्रमाणपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें आवेदक की 60 प्रतिशत बिकलांगता	where
दर्शाई है, जबिक फरियादिया द्वारा आवेदक/अभियुक्त पर जबरदस्ती पकडकर जमीन पर पटककर बुरा काम करने के आरोप लगाए है। आवेदक/अभियुक्त	

के पैर में स्थाई अपंगता दर्शाई है। आवेदक / अभियुक्त के अधिवक्ता ने जो तर्क किया है वह गुणदोष का विषय है, किन्तु प्रकरण की इस स्टेज पर आवेदक / अभियुक्त पर लगाए गए आरोप के स्वरूप को देखते हुए आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) ए०एस०जे० गोहद ALIMONA POPEIN AUTH TO THE PROPERTY OF THE PRO